तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **ओमप्रकाश दांतीवाडा बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 54/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/07/2024	अपीलार्थी ओमप्रकाश दांतीवाडा निवासी अखिल भारतीय किसान सेवा कार्यालय, गांधी टावर चौथी मंजिल, गांधी अस्पताल के पीछे, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 01.11.2023 को (1) भ्रष्टाचार जांच ब्यूरो, जयपुर में दर्ज परिवाद संख्या 401/18 दिनांक 13.08.18 के संबंध में परिवाद का सत्यापन करने हेतु भ्रष्टाचार जांच ब्यूरो जयपुर से जिला कलक्टर (भू.रू.) तृतीय, जोधपुर को प्रेषित लगातार आदेश पत्र मय सम्पूर्ण पत्रावली एवं जिला कलक्टर (भू.रू.) तृतीय, जोधपुर द्वारा भ्रष्टाचार जांच ब्यूरो को प्रेषित जवाब व साथ संलग्न सम्पूर्ण पत्रावली व उक्त कार्यालय की नोटशीट सहित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दु से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर (शहर), जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। प्रार्थी को सुना गया तथा हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर) से जरिये पत्रांक 70 दिनांक 19.01.2024 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में दर्ज परिवाद संख्या 401/18 दिनांक 13.08.2018 से संबंधित कोई भी पत्रावली प्राप्त नही हुई है, जिस कारण प्रार्थी को वांछित सूचना दिया जाना संभव नही है। तारीख पेशी के वक्त उपस्थित प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना का कार्यालय में उपलब्ध होना बताया गया अतः अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर) को आदेशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालय में उक्त पत्रावली हेतु गहनता से जांच कर रिकार्ड उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर जोधपुर	